राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 16(36)एमई./ग्रुप–1/2020 जयपुर, दिनांक : 20/10/2020

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(87)एमई/ग्रुप–1/90 दिनांक 17–7–1995 के द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन बाबत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन बाबत निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

(1) प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पद हेतु राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य के पद पर कार्यरत सभी पात्र चिकित्सक शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

(2) उक्त पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से एक चयन समिति द्वारा किया जावेगा। जिसकी संरचना निम्न प्रकार होगी –

1. मुख्य सचिव, राजस्थान	––	अध्यक्ष
2. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग	––	सदस्य
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	––	सदस्य
4. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	––	सदस्य

(3) पद पर चयन उन सभी पात्र चिकित्सक शिक्षकों में से किया जावेगा जिनके द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक पद हेतु आवेदन किया गया जावेगा एवं चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगें। साक्षात्कार उपरान्त समिति द्वारा चयनित व्यक्तियों का एक पैनल तैयार किया जावेगा।

(4) चयन समिति द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक पद हेतु चयन किसी चिकित्सा महाविद्यालय विशेष के लिए नहीं किया जावेगा बल्कि प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक पद की उन समस्त रिक्तियों के विरूद्ध किया जावेगा जो उस कलैण्डर वर्ष में उपलब्ध होगी।

(5) प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक पद पर चयन का आधार आवेदकों की प्रशासनिक योग्यता एवं उनका शैक्षणिक केरियर होगा।

(6) चयन समिति द्वारा पैनल का आकार रिक्तियों की संख्या एवं किसी चयनित व्यक्ति द्वारा उक्त पद पर कार्य करना अस्वीकार करने आदि को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जावेगा।

क्रमशः–2

(7) सक्षम स्तर से पैनल के अनुमोदन उपरान्त चयनित व्यक्ति किसी भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में पदस्थापित किया जा सकेगा। प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक पद पर पदस्थापित व्यक्ति द्वारा पद पर कार्य करने की असमर्थता व्यक्त करने पर पैनल में चयनित अन्य व्यक्ति को उस पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

(8) प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय पद पर पदस्थापित व्यक्ति को राज्य के किसी भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(9) चयनित व्यक्ति को प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय के पद पर 3 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) लोक हित/प्रशासनिक हित में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक पद पर पदस्थापित व्यक्ति को एक बार में 01 वर्ष तथा अधिकतम 3 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति/सेवा विस्तार दिया जा सकेगा।

(11) उपरोक्तानुसार चयनित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक द्वारा उक्त पद पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने अथवा उस पर गम्भीर आरोप/भ्रष्टाचार में लिप्तता/प्रशासनिक अकुशलता आदि के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त/अन्य सक्षम अधिकारी/कमेटी से जाँच कराई जा सकेगी।

(12) जाँच प्रतिवेदन पर बिन्दु संख्या–2 में उल्लेखित समिति द्वारा विचार–विमर्श किया जायेगा। समिति के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं से सन्तुष्ट होने पर प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के चयन को निरस्त किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा चयन निरस्त के आदेश जारी किये जाने से पूर्व उक्त चयनित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(13) बिन्दु संख्या 9 से 12 के प्रावधान वर्तमान में कार्यरत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक पर भी लागू होंगे।

(14) प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक पद पर चयन हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार होगी।

यह दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(वैभव गालरिया)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस), जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर।
6. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

20/10/2020
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव